(5)

न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 68/2016

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

मूल्या पुत्र सरूपा, जाति–मीणा, निवासी–खेडा रानीवास, तहसील–चाकसू, जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 31.07.2019**

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2009–2023 में ग्राम खेडारानीवास की आराजी खसरा नम्बर 1 लगायत 5 गैर मुमकिन तलाई दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2022 में जलोढ़ भूमि दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2060–2063 में मूल्या की खातेदारी में दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009–2023 में दर्ज गैर–मुमकिन तलाई आराजी की निजी खातेदारी नहीं दी जा सकती अतः खारिज फरमाई जावे। तहसीलदार, चाकसू के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.09.2008 स्वीकार करते हुए प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाने के को आदेश दिये गये इसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञा दिनांक 09.09.2015 द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जावे और वर्तमान जमाबंदी के अंकन मूलतः जिस आदेश से सृजित हुए हैं, उस आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर, मूल दस्तावेजों या पत्रावली के साथ नये सिरे से रेफरेन्स करने को स्वतंत्र है।

तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञा दिनांक 09.09.2015 के अनुसरण में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत किया गया है जिसे

Scanned by CamScanner

दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतः एकपक्षीय बहस समाअत की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2009–2023 में ग्राम खेडारानीवास की आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा गै0मु0 पाल, आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा गै0मु0 तलाई, नम्बर 3 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा गै0मु0 पाल, नम्बर 4 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 पाल, व आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 टीबा कुल किता 05 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा मकबूजा ठीकाना बिला लगानी दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2022 में वादग्रस्त आराजी के नये खसरा नम्बर 1 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा किस्म जमीन गै0मु0 तलाई दर्ज है जो आवंटन के फलस्वरूप आवंटी मूल्या के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2009–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी मकबूजा ठीकाना बिला लगानी नियमों के विपरीत आवंटित की जाकर खातेदारी दर्ज की गई है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी मूल्या के नाम खातेदारी दर्ज है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में मकबूजा ठीकाना बिला लगानी किस्म जमीन गै0मु0पाल/गै0मु0 तलाई/गै0मु0 टीबा दर्ज है। एकीकरण में भी गैर–मुमकीन तलाई दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन/नियमन/हक खातेदारी हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम /नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत मकबूजा ठिकाना बिला लगानी गै0मु0 तलाई भूमि की निजी खातेदारी दर्ज की गई है जो कानूनी प्रावधानों के

Scanned by CamScanner

(7)

विपरीत होने से अवैध है और ऐसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारम्भ से शुन्य है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2009–2023 में ग्राम खेडारानीवास की आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा गै0मु0 पाल, आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा गै0मु0 तलाई, नम्बर 3 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा गै0मु0 पाल, नम्बर 4 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 पाल, व आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 टीबा कुल किता 05 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा मकबूजा ठीकाना बिला लगानी दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2022 में वादग्रस्त आराजी के नये खसरा नम्बर 1 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा किस्म जमीन गै0मु0 तलाई दर्ज है, यह आराजी दिनांक 17.06.1975 को मूल्या पुत्र श्री सरूपा, कौम मीणा के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–46 मूल्या के नाम दर्ज होकर नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में अप्रार्थी मूल्या का नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2009–2023 में दर्ज मकबूजा ठीकाना बिला लगानी गैर मुमकिन पाल/तलाई/टीबा व एकीकरण सम्वत् 2022 में दर्ज गैर मुमकिन पाल/तलाई/टीबा को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 17.06.1975 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन तलाई/पाल/टीबा दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2009– 2023 से होती है और इस आराजी का आवंटन मूल्या पुत्र सरूपा, जाति–मीणा को दिनांक 17.06.1975 को

Scanned by CamScanner

किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तर –करण सं0–46 ग्राम–खेडारानीवारा से होती है। खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या– 46 स्वीकार किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार मकबूजा ठीकाना बिला लगानी गैर–मुमकीन तलाई/पाल/टीबा की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन तलाई/ पाल/टीबा भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन तलाई/पाल/टीबा भूमि का आवंटन/नियमन/ खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, कोटाखावदा द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामत: उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1 लगायत 5 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा जिसके एकीकरण में खसरा नम्बर 1 बने हैं और मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2051 के नवीन खसरा नम्बर 1 व 2 हैं ग्राम–खेडारानीवास आवंटन दिनांक 17.06.1975 बहक मूल्या पुत्र सरूपा, जाति–मीणा को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त

Scanned by CamScanner

(9)

कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस मकबूजा ठीकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन तलाई/ पाल/टीबा दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारान को दिनांक 30.09.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.07.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner